

Disability Pension Scheme

***12. SH. VARUN CHAUDHRY (Mullana):**

Will the Chief Minister be pleased to state the reasons for fixing minimum 60% disability as eligibility for getting disability pension under Disability Pension Scheme in State?

MANOHAR LAL

CHIEF MINISTER

Sir,

For inclusion of greater number of disabled persons under the “Haryana Divyang Pension Scheme” an announcement was made on 31/10/2016 to reduce the eligibility condition of disability from 70% or more to 60% or more in the function held at Gurugram for celebration of Haryana Golden Jubilee Year, 2016. Accordingly, notification was issued vide No. 239/SW(4)-2017 on dated 27/02/2017.

दिव्यांग पेंशन योजना

*12 श्री वरुण चौधरी (मुलाना):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग की पेंशन लेने के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत दिव्यांगता की पात्रता को निर्धारित करने के कारण क्या है ?

मनोहर लाल

मुख्यमंत्री हरियाणा

महोदय,

हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष, 2016 के उपलक्ष्य में दिनांक 31 दिसंबर, 2016 को गुरुग्राम में हुए समारोह में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने हेतु "हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना" के अंतर्गत पात्रता के लिए निर्धारित 70 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता की सीमा को घटाकर 60 प्रतिशत या इससे अधिक करने हेतु घोषणा की गई। दिनांक 27.02.2017 को अधिसूचना संख्या 239/एस0डब्ल्यू0 (4)-2017 द्वारा इसे 70 प्रतिशत या उससे अधिक से घटाकर 60 प्रतिशत या उससे अधिक कर दिया गया है।